



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U. P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या-948 -अ0प्र0-07 / पाकालि / 20-06-अ0प्र0-07 / 11

दिनांक 16/05/2020

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत तथा पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा घोषित कम्बाइन्ड सीनियारिटी के आधार पर 40% प्रोन्ति कोटे के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (ई0 एण्ड एम0) से सहायक अभियन्ता (ई0 एण्ड एम0) के पद पर प्रोन्ति हेतु दिनांक 24.10.2019 को सम्पन्न हुई विभागीय चयन समिति की बैठक में मोहरबन्द किये गये प्रकरणों में से श्री मीनू कुमार (वरिक्रो-10048), अवर अभियन्ता के सम्बन्ध में पश्चिमांचल डिस्कॉम के कार्यालय ज्ञाप सं0-64/पविविनिलि/मे0/हा0/ई-3/मु0बाद/मीनू कुमार, दिनांक 04.05.2020 द्वारा 'निन्दा प्रविष्टि तथा 01 वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड देते हुए प्रकरण को समाप्त कर दिये जाने की प्राप्त सूचना के दृष्टिगत इनका मोहरबन्द लिफाफा दिनांक 13.05.2020 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक में खोलकर, उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी/स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (ई0 एण्ड एम0) के पद पर प्रोन्ति किया जाता है तथा निम्नवत तालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित निगम को तैनाती हेतु आवंटित किया जाता है :-

क्र0 सं0	अवर अभियन्ता का नाम/पिता का नाम ट्रेड/जन्मतिथि/गृह जनपद/ वर्ग /वरिक्रो	अवर अभियन्ता के पद पर वर्तमान तैनाती स्थान	सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्ति पश्चात् तैनाती हेतु आवंटित डिस्कॉम/इकाई	आवंटित अभिज्ञान सं0
1	2	3	4	5
1	श्री मीनू कुमार/श्री गोपी लाल वि0/17.04.1977/रामपुर/अनु0 जाति/10048	विद्युत कार्यालया केन्द्र, मंझनपुर, कौशाम्बी	पूर्वांचल	2019226

- परिषदादेश सं0-1849-काविनी/राविप-29/97-14-काविनी/87, दिनांक 08.10.1997 के प्रस्तर-7(ग) में निहित प्राविधानानुसार श्री मीनू कुमार (वरिक्रो-10048), को उनसे आसन्न कनिष्ठ की सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्ति विषयक कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप सं0-3411-अ0प्र0-07, दिनांक 26.10.2019 के निर्गमन की तिथि अर्थात् 26.10.2019 से प्रोन्ति माने जाने के आदेश किये जाते हैं।
- उपरोक्त अभियन्ता की पारस्परिक एकल वरिष्ठता सूची चयन वर्ष 2019-20 में सहायक अभियन्ता (वि0 एवं यां0) की सीधी भर्ती की उपलब्ध रिकितयों के विरुद्ध चयन हेतु विद्युत सेवा आयोग के विज्ञापन सं0-04/विसेआ/2019/ए0ई0 द्वारा अद्यतन प्रक्रियाधीन कार्यवाही के फलस्वरूप चयनित किये गये सहायक अभियन्ताओं के साथ 'Amalgamate' करते हुए घोषित की जायेगी।
- उपरोक्त प्रोन्ति कार्मिक पूर्व परिषदादेश सं0-485-ए-आर/राविपि-01-28-एआर/89, दिनांक 27.03.89 के सन्दर्भ में मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से भाग लेगे। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे।
- सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक/मुख्य अभियन्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्ति अवर अभियन्ताओं के नियंत्रक अधिकारी उन्हें वर्तमान कार्यभार से कार्यमुक्त करने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करें :-
- (क) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयत्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो।


- (ख) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही/अभियोजन का प्रकरण लम्बित न चल रहा हो।
- (ग) अवर अभियन्ता के विरुद्ध यदि कोई विविध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्यापि है तो उसकी नियमानुसार कटौती प्रारम्भ कर दी गई है एवं उसका अंकन उसकी सेवा पुस्तिका में कर दिया गया है।
- (च) यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में काठगाड़ी में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम प्रत्येक व्यवहारिक उद्देश्य के लिए मान्य होगा।
6. सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्त उपरोक्त अभियन्ता, इस आदेश के निर्गत होने से दो माह के भीतर अपने नव तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। प्रोन्त कार्मिक को वर्तमान कार्यभार से खानीय व्यवस्था द्वारा अवमुक्त कर दिया जाए।
7. सक्षम अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे उपरोक्त अभियन्ता की तैनाती उ0प्र0पा0का0लि0 में वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति एवं जनहित याचिका सं0-79/1997 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे।
8. सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्त अवर अभियन्ता के नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करें कि सम्बन्धित प्रोन्त अवर अभियन्ता कार्यमुक्ति की तिथि को, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा निर्गत आदेश सं0-5910-गोपन/पाकालि(06)/2001, दिनांक 11.06.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाक्षर प्रस्तुत कर चुका हो।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या :—948—आ0प्र0—07 / पाकालि / 2020 / तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशासा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्वय विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी।
5. मुख्य अभियन्ता (जानपद पारेषण—प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पा0का0लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्त अधिकारियों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कराने हेतु अवश्यक व्यवस्था करें।
7. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को पत्रांक—888—अनु0—01/सहारामिं(पदो) / 19—20, दिनांक 04.10.2019 द्वारा प्रेषित छान समिति की आख्या के सन्दर्भ में।
8. उप सचिव (आ0प्र0—03 / 04 / गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0 शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. अनुभाग अधिकारी (आ0प्र0—03 / 04), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को वैयक्तिक पत्रावली हेतु।
12. संबंधित अधिकारी / गार्ड फाइल / कट फाइल।

आज्ञा से,

 (राजेन्द्र कुमार वर्मा)
 उप सचिव (07)
